न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

स्वर्गीय सुमतिलाल पिता स्वर्गीय मथुरालाल लालवत जैन (मृतक) के बजाय :–

1. श्रीमती हीराबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमतिलाल जी, निवासी कुण, तहसील लसाड़िया, हाल निवासी उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती उर्मिला जैन पुत्री स्वर्गीय सुमतिलाल जी जैन, निवासी हाल उदयपुर
3. प्रवीण कुमार पिता स्व. सुमतिलाल जी जैन लालावत, निवासी हाल उदयपुर
4. अनिल कुमार पिता स्व. सुमतिलाल जी जैन लालावत, निवासी हाल उदयपुर
5. श्रीमती कंकूबाई धर्मपत्नी नाथूलाल जी डांगी, निवासी सोड़ाला, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गीता धर्मपत्नी भांकरलाल जी डांगी, निवासी सोड़ाला, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
7. वालचन्द पिता पीथा जी डांगी, निवासी मानपुरिया का गुड़ा, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
8. धनराज पिता खेमा जी डांगी, निवासी मानपुरिया का गुड़ा, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. करणमल पिता मथुरालाल जी लालावत, निवासी कुण, हाल 149, रूपनगर सेक्टर नंबर 3, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
2. विनय कुमार पिता मथुरालाल जी लालावत, निवासी कुण, हाल आनन्द नगर, युनिवर्सिटी रोड़, उदयपुर (राज.)
3. महावीर प्रसाद पिता मथुरालाल जी लालावत, निवासी कुण, हाल फ्लैट नंबर 113, महावीर अपार्टमेन्ट, पानेरियों की मादड़ी, सेक्टर 4, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लीलाबाई पिता मथुरालाल जी लालावत धर्मपत्नी मनोहरलाल डवारा, निवासी कुण, हाल नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कैला ाबाई पिता मथुरालाल जी लालावत धर्मपत्नी रंगलाल जी जैन, निवासी कुण, हाल एल.21, सेक्टर नंबर 6, हिरणमगरी, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती बेबीबाई पिता मथुरालाल जी लालावत धर्मपत्नी प्रका ा जी लखमावत, निवासी कुण, हाल एस.बी.आई, बैंक के सामने, भीण्डर, उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:45 IST
Reason: SelfAttested

7. श्रीमती मौसीबाई पिता मथुरालाल जी लालावत धर्मपत्नी भयामलाल जी जैन, निवासी कुण, हाल 5 गायत्री नगर, रोड़ नंबर 3, सेक्टर 5, उदयपुर (राज.)
8. उप पंजीयक लसाड़िया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
9. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 10.02.18 प्रकरण सं. 31/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भान्तिलाल चपलोत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पवन सिंघल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1, 3, 5
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभि.रे.सं. 8 से 10

———::———

निर्णय **दिनांक 12–10–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा के एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय मथुरालाल की संताने हैं, जिन्होंने अपने जीवनकाल में कर्ता खानदान की हैसियत से कम कीमत का स्टाम्प भाुल्क लगने के कारण परिवार के निम्न व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा निम्नलिखित आराजियात क्रय की, जो संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है।

क्र. सं.	आराजी नंबर	रकबा		विक्रेता	क्रेता	विक्रय दिनांक
		बीघा	बिस्वा			
1.	494	01	06	अमरसिंह पिता ि ावनाथ सिह जी भाक्तावत, निवासी कूंण	महावीर प्रसाद (नाबालिग)	23.07.1960
2.	495/2	00	07	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	23.07.1960
3.	499/2	00	03	,, ,, ,, ,,	मथुरालाल 1/2 भाग एवं सुमतिलाल (नाबालिग) 1/2 भाग	23.07.1960
4.	500/2	02	14	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	23.07.1960
5.	504	00	02	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	23.07.1960

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विक्रय दिनांक 23–07–1960 को वादी संख्या 2 महावीर की उम्र 14 वर्श (जन्म दिनांक 03–08–1946) तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुमतिलाल की उम्र 11 (जन्म दिनांक 07–12–1949) वर्श होकर दोनों ही मथुरालाल जी के नाबालिग पुत्र होकर विद्यालय में पढ़ते थे एवं उनकी कमाई का कोई स्त्रोत नहीं था। उस वक्त अन्य पुत्र करणमल व विनय कुमार का जन्म ही नहीं हुआ था। इसलिए दोनों बिकावनामे बेनामी ही थे और मथुरालाल व उनके वारिसानों के हित, अधिकारों की मुकाबले निश्प्रभावी व भून्य थे। सुमतिलाल के नाम दर्ज भूमियों में सभी भाई–बहनों का समान हक व अधिकार है, फिर भी सुमतिलाल आराजी नंबर 500/2 का पि चमी भाग का विक्रय विलेख दिनांक 03–04–2014 को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम कर दिया है, जो वादीगण के मुकाबले भून्य व बेअसर है। अतः आराजी नंबर 499/2, 500/2 व 504 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को संयुक्त खातेदार घोशित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–02–2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–08–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 5 की ओर से वकील श्री पवन सिंघल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 10 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित है। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 01–08–2019 को हुई। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:45 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में सुमतिलाल की तामिल ही नहीं हुई है, जिससे वह अपना जवाबदावा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। अपीलान्टगण के खिलाफ एकतरफा आदे ा पारित किया गया है। पिता जी ने मेरे नाम जो जमीन खरीदी गयी वह मेरे नाम ही रहेगी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय समस्त साक्ष्यों का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न प्रद ा 7 अनुसार अपीलान्ट सुमतिलाल सन् 1964 में कक्षा 8 उत्तीर्ण की एवं रेकार्ड अनुसार उसकी जन्म दिनांक 09–10–1949 है, जिससे स्पश्ट है कि 1960 में जो भूमि उसके नाम पर क्रय की गयी उस समय उसकी उम्र मात्र 11 वर्श थी। इसी प्रकार विवादित आराजियात के दूसरे क्रेता महावीर प्रसाद भी वक्त क्रय नाबालिग होकर उनकी उम्र मात्र 14 वर्श थी, जो प्रद ा 8 से 10 से स्पश्ट है। इस प्रकार स्पश्ट है कि विवादित भूमि मथुरालाल जी द्वारा ही क्रय की गयी है, जिससे मथुरालाल के समस्त वारिसान का समान हक व अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्टगण का वाद स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:45 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:45 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

सुमतिलाल के बजाय श्रीमती हीराबाई धर्मपत्नी स्व. सुमतिलाल निवासी कुण, तह. लसाड़िया हाल उदयपुर व अन्य	बनाम	**करणमल पिता मथुरालाल लालावत निवासी कुण, हाल 149, रूप नगर, से. 3, हिरणमगरी, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**31 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**02**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भान्तिलाल चपलोत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पवन सिंघल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:45 IST
Reason: SelfAttested